कार की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति को भी बेल्ट लगाना अनिवार्य

प्रदेश में आज से लागू होगा नियम, लापरवाही पर कटेगा चालान

- पीछे की सीट पर बैठने वाले तीसरे व्यक्ति को लेकर कोई स्पष्ट आदेश नहीं, अधिकारी खुद असमंजस की स्थिति में

जयपुर (कासं)। कार में पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति को भी सीट बैल्ट लगाना अनिवार्य होगा। प्रदेश में बुधवार से इसे लागू कर दिया जायेगा। इस संबंध में मंगलवार को परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। बिना सीट बेल्ट कोई यात्री मिला तो उसका चालान किया जाएगा, ये चालान उतना ही होगा, जितना आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति पर लगता है।

विभाग से जारी आदेशों में सीट बेल्ट उनके लिए अनिवार्य है, जो फ्रंट फेसिंग सीट पर बैठते है। यानी बैठते समय यात्री का फेस या दिशा आगे की तरफ हो। अक्सर बड़ी गाड़ियों में कई जगह सीटें बैक फेसिंग भी होती है। ऐसे पैसेंजर पर यह नियम लागू नहीं होगा। साइट फेसिंग सीट पर बैठे यात्री के लिए भी सीट बेल्ट जरूरी नहीं है। 1 सितंबर 2020 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान की राशि 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की गई थी। कार में आगे बैठे दोनों यात्रियों पर यह फिलहाल लागू था। आदेशों में पीछे की सीट पर बैठने वाले तीसरे व्यक्ति को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर परिवहन विभाग के अधिकारी खुद असमंजस में है।

परिवहन विभाग के कमिश्नर कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। अगर किसी गाड़ी में 5 व्यक्ति हैं और 4 सीट पर बेल्ट है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसको लेकर मामले को दिखवाना पड़ेगा। ज्ञात रहे कि गुजरात से मुंबई लौटते समय जाने-माने बिजनेसमैन सायरस मिस्त्री की 4 सितम्बर को कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। मिस्त्री उस समय कार की पीछे वाली सीट पर बैठे थे।

उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। कार जब हाईवे पर एक दीवार से टकराई तो मिस्त्री और उनके साथ बैठे जहांगीर पंडोले की सीट से सिर टकराने से मौत हो गई थी। इसके बाद केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके सभी राज्यों को कार में पीछे की सीट बेल्ट लगाने की अनिवार्यता करने के निर्देश दिए थे।

तीन वाहन चोर गिरफ्तार

जयपुर। भांकरोटा थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले का खुलासा करते हुए तीन शातिर चोरों को दबोचा है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की 3 बाइक बरामद की हैं। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने एक दर्जन से अधिक वारदातों को अंजाम देना कबूला है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पहले भी चोरी और लूट के प्रकरण में गिरफ्तार हो चुके हैं। डीसीपी (पश्चिम) वंदिता राणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी दानिश अहमद, नजरूद्दीन उर्फ तालिम और यूनूस खान मौजमाबाद जयपुर ग्रामीण के रहने वाले हैं। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने खोह नागोरिया से दो बाइक चुराना कबूल किया, जबकि एक बाइक भांकरोटा से और बगरू थाने से तीन बाइक चुराना कबूल किया हैं।

राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने नई दिल्ली में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह एवं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भेंट की।

सफाई मामले में न्यायमित्र लिखित में आपत्ति पेश करें : हाईकोर्ट

- अदालत ने सरकार के शपथ पत्र से संतुष्ट नहीं होने पर न्यायमित्र को कहा

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाइकोर्ट ने शहर की सफाई व्यवस्था से जुड़े मामले में राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए शपथ पत्र से संतुष्ठ नहीं होने पर न्यायमित्र विमल चौधरी को लिखित तौर पर आपत्ति देने को कहा है। वहीं अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि पब्लिक में सिविक सेंस होगा तो शहर में भी सफाई रहेगी, इसके लिए सभी को जागरुक रहने की जरूरत है। वहीं मामले की सुनवाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में रखी है। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश शहर की सफाई व्यवस्था पर लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश के पालन में ग्रेटर नगर निगम कमिश्नर महेन्द्र सोनी व हेरिटेज निगम के अतिरिक्त कमिश्नर सहित अन्य अधिकारी पेश हुए। इस दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता एएजी अनिल मेहता ने कहा कि पूर्व में सफाई व्यवस्था की जानकारी को लेकर शपथ पत्र पेश किया जा चुका है। शहर में सुचारु तरीके से सफाई हो रही है और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो रहा है। इस पर आपत्ति करते हुए न्यायमित्र विमल चौधरी ने कहा कि निगम रिकार्ड सहित यह बताए कि ये सफाईकर्मी किस-किस जगह पर काम कर रहे हैं। कचरा जमा होने पर उसे आठ दिनों में उठाया जाता है और कचरा फेंकने वालों पर कोई चालान नहीं हो रहा। इस पर अदालत ने न्यायमित्र को कहा कि यदि उन्हें राज्य सरकार के शपथ पत्र पर कोई आपत्ति है तो वे लिखित रूप में दें। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई पर भी राज्य सरकार ने शहर में सफाई व्यवस्था बेहतर रहने का दावा किया था, लेकिन न्यायमित्र ने मौखिक रूप से आपत्ति दर्ज कराई थी।

'पांच हजार से अधिक करें जल कनेक्शन'

जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि फील्ड अभियंता ठेकेदार फर्मो के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनें और उनसे विभिन्न परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में आ रही समस्याओं पर फीडबैक लें।

डॉ. अग्रवाल मंगलवार को जल भवन में विभिन्न पेयजल परियोजनाओं एवं जल जीवन मिशन की प्रगति की वीसी के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एसीएस स्तर पर भी ठेकेदार फर्मो के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन में प्रतिदिन होने वाले जल कनेक्शन की संख्या 3250 तक पहुंचने को अच्छा संकेत बताते हुए इसे 5 हजार से अधिक प्रतिदिन तक ले जाने के निर्देश दिए हैं।

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में दिखेंगे साहित्य के बहुरंग

19 से 23 जनवरी को होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित होगा

- पहली सूची में 25 वक्ता शामिल

जयपुर, (का.सं.)। दुनिया का सबसे मोहक साहित्यिक शो वर्ष 2023 में जयपुर में दस्तक देने को तैयार है। आज, फेस्टिवल के प्रोड्यूसर, टीमवर्क आर्ट्स ने फेस्टिवल के 16वें संस्करण की तारीखों की घोषणा की। ये संस्करण 19-23 जनवरी को होटल क्लार्क्स आमेर, जयपुर में आयोजित होगा। हर साल आयोजित होने वाला जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हमेशा शानदार वक्ताओं और जरूरी सवालों को लेकर गुलाबी नगरी में हाज़िर रहता है।

फेस्टिवल इस साल भी अपनी मूल संकल्पनाओं के साथ जुड़ा रहेगा। विचारों का एक लोकतान्त्रिक, निरपेक्ष मंच जहाँ हर पक्ष को अपनी बात रखने की आज़ादी है। पिछले 15 सालों में इस आइकोनिक फेस्टिवल ने देश-विदेश के लगभग 5000 वक्ताओं की मेजबानी की है, और दुनिया भर के 200 मिलियन से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुँच बनाई है। फेस्टिवल के हाइब्रिड वर्जन के माध्यम से विभिन्न देश और द्वीपों के पाठक इससे जुड़े हैं।

2023 में, इस साहित्योत्सव में साहित्य, संवाद, संगीत प्रस्तुति, कला, वस्तुओं और स्थानीय व्यंजनों के माध्यम से श्रोताओं के सम्मुख अनेक रंग प्रस्तुत किये जायेंगे। फेस्टिवल में 5 वेन्यु और 250 से अधिक वक्ताओं के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओँ और कई विदेशी भाषाओँ का प्रतिनिधित्व किया जायेगा।

वक्ताओं की घोषित पहली सूची में 25 वक्ता शामिल हैं। 2021 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुलरज़ाक गुरनाह, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, प्रसिद्ध कवयित्री, अनुवादक और लेखिका अनामिका, बहुचर्चित और हाल में प्रकाशित नोमैड्स: द वांडरर्स हू शेप्ड आवर वर्ल्ड के लेखक एंथनी साटिन, डीएससी प्राइज के लिए शोर्टलिस्टेड और प्रतिष्ठित ग्रेटियन प्राइज के लिए नामांकित होने वाले श्रीलंकाई लेखक अशोक फेर्रे, इंग्लिश फिक्शन लिखने वाले भारत के सबसे कामयाब लेखक अश्विन सांघी, प्रतिभाशाली नागा लेखक अविनो किरे जिनका हाल ही में प्रकाशित हुआ उपन्यास है। वेयर द कोबल्ड पाथ लीड्स, अपनी किताब गर्ल, वुमन, अदर के लिए बुकर प्राइज जीतने वाली पहली मिक्स्ड-रेस महिला लेखिका बेर्नार्दिन एवारिस्तो, दो बार बुकर प्राइज के लिए शोर्टलिस्ट हुए शिगोज़ी ओबिओमा, इंटरनेशनल बुकर जितने वाले उपन्यास रेत समाधी/टोम्ब ऑफ़ सेंड की अनुवादक डेजी रॉकवेल, भारत की जानी-मानी अभिनेत्री, डायरेक्टर और लेखिका दीप्ति नवल।

लिस्ट में शामिल अन्य नाम हैं, बुकर प्राइज विजेता ब्रिटिश उपन्यासकार होवार्ड जैकबसन, मुंबई में रहने वाले कवि, उपन्यासकार, कहानी लेखक, अनुवादक और जाने-माने पत्रकार जैरी पिंटो, नेशनल बुक अवार्ड और/फोक्नर अवार्ड की लॉन्ग लिस्ट में शामिल रही किताब इंटीमेसीज की लेखिका कैटी कितामुरा, गणित के नामी प्रोफेसर और द बिग बैंग ऑफ़ नम्बर्स, हाउ टू बिल्ड द यूनिवर्स यूजिंग ओनली मैथ के लेखक, मनिल सूरी, द रिटन वर्ल्ड और द लैंगुएज ऑफ़ थीव्स के पुरस्कृत और कामयाब लेखक मार्टिन पुकनर, तुर्की-अमेरिकी लेखिका, अकादमिक, और साहित्यिक समीक्षक मेर्वे एमरे, वर्ष 2022 में बुकर प्राइज के लिए शोर्टलिस्ट हुई किताब ग्लोरी की लेखिका नोवायलेट बुलावायो, भारतीय लेखिका, ब्लॉगर और अनुवादक राणा सफवी, बुकर के लिए नामांकित अमेरिकी-कनाडाई लेखिका, फिल्ममेकर और जेन-बुद्धिस्ट प्रीस्ट रुथ ओज़ेकी।

फेस्टिवल में शामिल अन्य वक्ताओं में कामयाब किताब एम्पयारलैंड, हाउ इम्पेरिअलिस्म हैस बीन शेप्ड मॉडर्न ब्रिटेन के लेखक सथनाम संघेरा, बुकर शोर्टलिस्टेड द सेवेन मून्स ऑफ़ माली अल्मिदा के लेखक शेहान करुनातिलक, 2019 के साहित्य अकादेमी युवा पुरस्कार के विजेता, तनुज सोलंकी, न्यू यॉर्क टाइम्स एडिटर'स चॉइस द इममोर्टल किंग राव की लेखिका वाहुनी वारा, अमेरिकी इतिहासकार और अकादमिक विन्सेंट ब्राउन, जाने-माने भारतीय पत्रकार और भारतीय पत्रकारिता के इतिहास के सबसे युवा संपादक वीर सांघवी।

प्रदेश में मंगलवार को केवल 8 जिलों में ही 31 नए करोना संक्रमित मिले

पिछले चौबीस घंटों में 25 जिलों में कोई भी नया मरीज सामने नहीं आया है

- जयपुर और राजसमंद में 9-9 नए संक्रमित पाए गए हैं।
- जयपुर में मंगलवार को करोना से एक मरीज की मौत हो गई है।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में मंगलवार को केवल 8 जिलों में ही 31 नए करोना संक्रमित मिले हैं। वहीं इस दौरान राज्य में 104 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में एक संक्रमित की मौत हुई है।

प्रदेश में थोड़े-बहुत उतार चढ़ाव के बीच नए करोना संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है। राज्य में मंगलवार को 31 नए मरीज सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि पिछले चौबीस घंटों में 25 जिलों में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला है। इस बीच जयपुर और राजसमंद में 9-9, कोटा में 7, बीकानेर में 2 तथा उदयपुर, पाली, अलवर और बांसवाड़ा में एक-एक नया संक्रमित मिला है। इस बीच राज्य में जांच के लिए 2918 सैम्पल लिए गए हैं। प्रदेश में मंगलवार को भी नए संक्रमितों के मुकाबले में तीन गुना ज्यादा रिकवरी हुई है। इस दौरान राज्य में 104 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस घटकर 566 रह गए हैं। जयपुर में मंगलवार को 24 और मरीजों के स्वस्थ होने से 118 एक्टिव केस रह गए हैं। उधर राज्य में मंगलवार को तीन दिन बाद करोना से फिर एक मरीज की मौत हुई है। इस दौरान जयपुर में एक संक्रमित ने इलाज के दौरान दमतोड़ दिया। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9640 लोगों की मौत हो चुकी है।

जयपुर में मंगलवार को 7 स्थानों पर नए संक्रमित मिले हैं। इनमें मालवीय नगर में 2 तथा आदर्श नगर, अम्बावाड़ी, चौड़ा रास्ता, घाटगेट, जगतपुरा और मालवीय नगर में इलाके में 1-1 नया संक्रमित मिला है। वहीं 2 संक्रमितों का पता गलत पाया गया है।

न्यायिक शक्तियों का प्रयोग सीमा से बाहर जाकर न करें : अदालत

- अदालत ने सहायक पुलिस उपायुक्त को चेतावनी दी

जयपुर, (का.सं.)। न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-1 जयपुर (प्रथम) के पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार द्वितीय ने सहायक पुलिस उपायुक्त एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर (पूर्व) के पीठासीन अधिकारी कमल सिंह शेखावत को चेतावनी दी कि जो न्यायकि शक्तियां उन्हें दी है उनका प्रयोग कानून की परिसीमा के बाहर जाकर नहीं करे।

साथ ही अपीलार्थी को दोषी अधिकारी के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिये निर्णय सुनाया। अदालत ने यह आदेश रामानन्द मीणा की अपील पर दिये। प्रार्थी रामानन्द मीणा की ओर से अधिवक्ता हेमन्त कुमार खोलिया, विनोद कुमार काठा, पुनीत शर्मा ने पैरवी की।

सड़क का शुभारंभ

जयपुर। मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने वार्ड 150 तख्ते शाही रोड पर जेडीए द्वारा 40 लाख रुपये लागत से बन रही डामर सड़क का शुभारंभ किया। स्थानीय पार्षद जितेंद्र श्रीमाली ने बताया तख्ते शाही रोड काफी समय से टूटी हुई थी।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व. दुर्गाप्रसाद एवं श्रीमति चन्द्रकला पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा निवासी-प्लॉट नं. सी.-6, मैटल कॉलोनी, अम्बाबाड़ी, सीकर रोड, जयपुर के पुत्र-पुत्रवधु तेजकरण-वन्दना उनके कहने सुनने में नही है तथा मेरे अभिभाष्यगण के प्रति अपने किसी भी नैतिक दायित्व का निर्वहन नही करते है व आये दिन लड़ाई झगड़ा करते है इसलिये मेरे अभिभाष्यगण अपने उक्त पुत्र पुत्रवधु को तुरन्त प्रभाव से अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पतियों से बेदखल करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था मे अभिभाष्यगण के उक्त पुत्र व पुत्रवधु से किसी प्रकार का संव्यवहार, लेन देन इत्यादि करता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

दिनांक-27/09/22 प्रेम प्रकाश जांगिड़, एडवोकेट

मो. न. 9828021070

आम सूचना दि. 26.09.2022

मेरी अभिभाष्या फर्म मैसर्स, क्यूटेक रिडिमिक्स कंकरीट, रजिस्ट्रेशन नंबर 08 AAAFQ8038NIZR ने अपना प्लान्ट, जो खसरा नंबर 2402, 2405 व 2760, नियर नगर निगम यार्ड, सी-ब्लॉक, नारायण विहार, भांकरोटा, जयपुर (राजस्थान) पर स्थित है, को दिनांक 03.06.2022 को मेघा बिल्डटेक, सोल्यूशन, रजिस्ट्रेशन नंबर 08 BIUPP50546FIZT को 11 माह के लिए किराये पर दे दिया है। मेघा बिल्डटेक सोल्यूशन के मालिक/प्रोपराईटर श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री घनश्याम शर्मा है। उपरोक्त किराया अवधि के दौरान उपरोक्त प्लान्ट पर जिस माल का खरिदान-परिदान होगा, उसकी संपूर्ण लेन-देन की जिम्मेदारी मेघा बिल्डटेक सोल्यूशन की रहेगी। मैसर्स, क्यूटेक रिडिमिक्स कंकरीट की माल के पेटे कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी और न ही किसी व्यक्ति, फर्म, सप्लायर मैसर्स, क्यूटेक रिडिमिक्स कंकरीट के विरूद्ध किसी माल के विवाद बाबत कानूनी कार्यवाही का अधिकार होगा। सूचित रहे।

भवदीय

(आर. के. वर्मा) एडवोकेट, मो. 9950140499

तीये की बैठक

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि सुरज शर्मा के पूजनीय पिताजी

श्री प्रह्लाद जी

(डंडाबाज) का स्वर्गवास सोमवार दिनांक 26.09.2022 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 28.09.2022 को दोपहर 2:00 से 4:00 बजे तक शारदा गार्डन, सांख रोड, गोनेर पर होगी।

शोकाकुल- गोविंद नारायण, हनुमान, रामबाबू, रामप्रसाद, रामवतार, सीताराम (भ्राता), बालकृष्ण, गजानन्द (पुत्र), राहुल, चीनू (अश्विन) अभिनव (पौत्र) एवं समस्त व्यास परिवार गली वाले गोनेर, जयपुर।- 9602420056, 8058627716, 8952022172

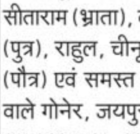

हमारी पूजनीय माताजी

श्रीमती जगन्नाथी देवी

धर्मपत्नी स्व. श्री रामपाल जी नामा (निरमा वाले) का बैकुण्ठ लोकगमन 26.9.2022 को हो गया। तीये कि बैठक 28.9.2022 को दोपहर 4:00 से 5:00 बजे प्लाट न. 121, सालासर वाटिका 9 , प्रताप डेरी, बालाजी मार्ग, रीको रोड न. 14, निवारू रोड, जयपुर पर है।

शोकाकुलः हरिश्याम-मंजू, कपिल-कविता, दीपक-रेखा (पुत्र-पुत्रवधु), प्रेमदेवी, रूपा, मंजू, मधु-श्रीरामकल्याणजी (पुत्री-दामाद), चन्दन-सीमा, कविश, हर्षिल (पौत्र-पौत्रवधु), विनीता-गजेन्द्रजी, पुर्तिका-महेशजी, विदिशा, कशिश (पोत्री-पौत्रीदामाद), ओजल, रिद्धि (प्रपौत्री) एवं समस्त तोणगरिया परिवार।

फ़ोन :9929929853,9929902527

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

राजफैड ने किसानों से समर्थन मूल्य पर 2915 करोड़ रुपये की फसल खरीदी

वार्षिक साधा... सभा
दिनांक : 2... 22

सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा (बीच में) ने राजपैड की साधारण सभा को संबोधित किया।

जयपुर, (का.सं.)। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं प्रशासक राजफैड श्रेया गुहा ने कहा कि राजफैड द्वारा खरीफ एवं रबी सीजन 2021 में समर्थन मूल्य पर 1351.27 करोड़ एवं रबी सीजन 2022 में 1564 करोड़ रूपये की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदी गई। जिसमें 549.89 करोड़ रुपये का गेहूँ, 712.31 करोड़ रुपये के मूंग, उड़द एवं मूंगफली तथा चने की 1653.78 करोड़ रूपये की खरीद की गई।

गुहा ने मंगलवार को राजफैड की 66वीं वार्षिक साधारण सभा को वर्चुअल तरीके से संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि किसानों से समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत दलहन-तिलहन की खरीद का ऑनलाइन भुगतान किसानों के खातों में तीन दिवस में करने का प्रयास किया गया। जिसकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं नेफेड अधिकारियों द्वारा सराहना की गयी। नेफेड द्वारा भी अन्य राज्य संघो को कहा है कि राजफैड द्वारा किसानों के भुगतान के लिए लागू की गई ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाये। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के केवीएसएस सहयोग से खरीफ 2021 में 876 क्रय केन्द्र एवं रबी 2021 में सरसों-चना हेतु 1566 क्रय केन्द्र स्थापित कर किसानों को उनके3 जिन्स का उचित लाभकारी मूल्य दिलवाया गया है। काश्तकारों को समय पर कृषि आदान उपलब्ध कराना और उनकी कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना हमारा पहला कर्तव्य है। इस वर्ष की बजट घोषणा के तहत अगस्त 2022 तक 36885 मीट्रिक टन डीएपी एवं 49032 मीट्रिक टन यूरिया का अग्रिम भण्डारण किया गया है।

गुहा ने कहा कि राजफैड द्वारा पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता का पशुआहार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष अप्रेल 2021 से अगस्त 2022 तक 11157 मीट्रिक टन पशुआहार का उत्पादन किया गया। पशुपालकों को 11 हजार से अधिक मीट्रिक टन पशुआहार का विक्रय किया गया।

अनुकम्पा नियुक्ति के 47 प्रकरणों में शिथिलता

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय कार्मिक की मृत्यु के उपरांत आश्रित द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन के 47 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से मृतक आश्रित परिवारों को संबल मिल सकेगा।

गहलोत ने कार्मिक की मृत्यु उपरान्त निर्धारित अवधि निकलने के बाद बालिग होने के उपरांत 3 वर्ष तक की विलम्ब अवधि में शिथिलन के 17 प्रकरण, आवेदन में विलम्ब के 28 प्रकरण तथा अधिक आयु सीमा में शिथिलन के 2 प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए यह शिथिलता दी है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बीते करीब 3 साल में अनुकम्पा नियुक्ति के 1282 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान कर आवेदकों को राहत प्रदान की जा चुकी है। इस अवधि में 3702 मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्तियां भी दी गई हैं।

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 14/2022

(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि प्रार्थी श्री कैलाश चन्द योगी, सचिव प्रन्यास श्री भर्तृहरि जी महाराज, भर्तृहरि, तह. मालाखेडा, जिला अलवर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास श्री भर्तृहरि जी महाराज, भर्तृहरि, तह. मालाखेडा, जिला अलवर में पूर्व प्रन्यासियों की मृत्यु होने व प्रन्यासी मनोनयन कर चुनाव करा नवनिर्वाचित कार्यकारणी/न्यासी परिवर्तन को दर्ज अभिलेख किये जाने हेतु जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।

अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुवे परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 12.09.22 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइन्दा तारीख पेशी 17.10.2022

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(प. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर-15) (राजस्व-द्वितीय प्रकोष्ठ)

क्रमांक: एफ-6()/उपा.राज.-द्वितीय(सा.प्र.)/ननिज/2022/1355 दिनांक: 27.09.2022

सार्वजनिक सूचना मूल भूखण्ड संख्या डी-26, अम्बाबाडी, जयपुर का नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा श्री लक्ष्मीनारायण वर्मा के नाम से क्षेत्रफल 457.14 वर्गगज भूमि का आवंटन एवं पट्टा जारी किया गया था। श्री लक्ष्मीनारायण वर्मा पुत्र श्री मूलचन्द वर्मा द्वारा भूखण्ड संख्या डी-26, अम्बाबाडी, जयपुर क्षेत्रफल 457.14 वर्गगज श्री डॉ. बैकुन्ठ नाथ भार्गव पुत्र श्री द्वारका नाथ भार्गव को बेचान किया गया। नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा भूखण्ड संख्या डी-26, अम्बाबाडी, जयपुर श्री बैकुण्ठ नाथ भार्गव के नाम से नाम हस्तान्तरण जारी किया गया। श्री डॉ. बैकुन्ठ नाथ भार्गव पुत्र श्री द्वारका नाथ भार्गव द्वारा भूखण्ड संख्या डी-26, अम्बाबाडी, जयपुर क्षेत्रफल 457.14 वर्गगज का अविभाजित 1/2 हिस्सा श्रीमती उषा देवी अग्रवाल पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल को बेचान किया गया। श्री डॉ. बैकुन्ठ नाथ भार्गव पुत्र श्री द्वारका नाथ भार्गव द्वारा भूखण्ड संख्या डी-26, अम्बाबाडी, जयपुर क्षेत्रफल 457.14 वर्गगज का अविभाजित 1/2 हिस्सा श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० श्री बनवारी लाल को बेचान किया गया। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, नाम हस्तान्तरण पत्र, अण्डरटेकिंग एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० श्री बनवारी लाल अग्रवाल एवं श्रीमती उषा देवी अग्रवाल पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल के पक्ष में क्षेत्रफल 457.14 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण एवं लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी किया जाना है। इस नाम हस्तान्तरण एवं लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, राजस्व-द्वितीय) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तान्तरण एवं लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त (राजस्व-द्वितीय) नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

नाम परिवर्तन

मैंने अपने पुत्र का नाम खुशवन्त किलका से बदलकर खुशवन्त चौधरी पुत्र भागीरथ राम चौधरी रख लिया है। भविष्य में इसे इसी नाम से जाना जावे। निवासी K-1/6, LIC Flats, Sector-6, विद्याधर नगर, जयपुर

मेरा नाम जगदीश प्रसाद सैनी पुत्र रामनिवास सैनी निवासी 13, पटेल नगर, रणथंभौर रोड सवाई माधोपुर है। मुझे जगदीश पुत्र रामनिवास के स्थान पर जगदीश प्रसाद सैनी पुत्र रामनिवास सैनी के नाम से जाना जाए।

मैंने अपना नाम Mohammed Hused से बदलकर Mohammad Husaid S/o Abdul Aziz रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए। 289, कश्यप मार्ग, भैसों वालों का मोहल्ला, सुभाष चौक, जयपुर

खोया पाया

राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आवंटित आवास श्री मन्नालाल, क्रमांक 2792 दिनांक 23/10/2008, 6MB-10, सेक्टर-6, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर का मूल दस्तावेज अलॉटमेंट कम पजेशन पत्र गुम हो गए हैं, मिलने पर सूचित करें- महावीर प्रसाद बारिया पुत्र श्री नारायण राम 8209759424

मेरे मकान 10/H/26 इन्दिरा गाँधी नगर का मूल No Dues Certificate No.-1357 इन्दिरा गाँधी नगर में कहीं गिर गया है। मिलने पर सूचित करें- 9001236416

फ्लैट सं. 18/F601 (6-F) गोमती अपार्टमेन्ट, प्रतापनगर सांगानेर जयपुर के ओरिजनल दस्तावेज (आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, सेवन डेज लेटर) कहीं गुम हो गये है। मिलने पर सम्पर्क, रूड़मल ठठेरा-7597302539

आफिसर्स कैम्पस विकास समिति, सिरसी रोड, खातीपुरा, जयपुर संस्था रजिस्ट्रेशन नं.259/जयपुर/93-94 के रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित मुल कागजात यथा नियमावली, विधान, रजिस्ट्रेशन, कार्यकारिणी आदि की सम्पूर्ण फाईल मंदिर परिसर से कहीं खो गयी है। मिलने पर सुचित करें- 9828151434

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम मदनलाल गोठवाल पुत्र छोटू राम गोठवाल एवं शकुंतला गोठवाल पत्नी मदनलाल गोठवाल निवासी श्रीमाधोपुर हाल निवासी प्लाट नंबर डी-122 ए, देवनगर, मुरलीपुरा, जयपुर सशपथ बयान करते हैं कि हमारे पुत्र निखिल गोठवाल व पुत्रवधु ईशिता द्वारा हमारे परिवार के प्रति गलत आचरण करने तथा झूठे आरोप लगाने से सामाजिक रूप से हमारी व हमारे परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। इसलिए हम इन दोनों को हमारी समस्त चल - अचल संपत्ति से बेदखल व पारिवारिक दायित्वों से मुक्त करते हैं। भविष्य में इन दोनों से हमारा व हमारे परिवार जनों का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहेगा। जो भी कोई इन दोनों से किसी प्रकार का लेनदेन व व्यवहार करेगा उसके परिणामों का वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के अध्याय-5 में किराए के पुनरीक्षण एवं बेदखली बाबत प्रार्थना-पत्र न्यायालय-किराया अधिकरण क्रम-1 जयपुर महानगर-प्रथम (राज) ACMM-1वीर बालिका संचालक मंण्डल विरूद्ध दीपक पोरवाल अर्जी संख्या 20/2019 नाम दीपक पोरवाल पुत्र श्री दीनदयाल पोरवाल जाति...पता-हाल किरायेदार दुकान न. 1740ए, परतानियों का रास्ता, जौहरी बाजार जयपुर।

प्रार्थी ने आपके विरूद्ध किराये के पुनरीक्षण/बेदखली के लिए राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के तहत एक अर्जी प्रस्तुत की है जो पंजीयन कर ली गई है। आपको इस न्यायालय में तारीख 31.10.2022 को 10.30AM बजे उक्त अर्जी का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए चेतावनी दी जाती है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसकी सम्यक अनुदेश दिए गए हो और जो इस अर्जी से सम्बन्धित सभी सारवान् प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें।

आपको यह भी निदेश दिया जाता है कि आप उक्त दिन या इससे पूर्व 30/45 दिन के भीतर अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य नोटिस की तामील होने की तारीख से दाखिल करें और उक्त तारीख पर या तामील होने के 30/45 दिन के भीतर ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं, पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई को दावा या प्रतिदावा आधारित है। साथ ही यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में न हो, अपनी प्रतिरक्षा, मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हों, आप ऐसे दस्तावेज उल्लिखित समय के मय उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप अपने प्रतिरक्षा के और जवाब के साथ उन सभी साक्षीगण के एवं स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत करें जो आपकी प्रतिरक्षा का समर्थन करते हैं तथा उन दस्तावेजों का और उस साक्ष्य का ब्यौरेवार वर्णन शपथ पत्र में किया जावें। साथ ही जिन दस्तावेजों को न्यायालय में प्रदर्शित कराना हो उन पर लाल स्याही से प्रदर्श डालकर प्रस्तुत करे और शपथ पत्र पर ए से बी, सी से डी हस्ताक्षर इत्यादि या लिखावट आदि जिसको भी प्रमाणित कराना है, का उल्लेख भी किया जावें।

आपको पुनः आगाह किया जाता है कि उक्त नोटिस की तामील होने के 30/45 दिन के भीतर आप अपना प्रतिरक्षा उपरोक्त प्रवास में न्यायालय में अंकित करें या उक्त तारीख पेशी पर प्रस्तुत कर दें। अन्यथा आपकी प्रतिरक्षा राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के तहत समाप्त हो जायेगी।

आपको यह भी आगाह किया जाता है कि तारीख पेशी से पूर्व यदि आप द्वारा प्रतिरक्षा हेतु जवाब अर्जी शपथ पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते है तो न्यायालय में प्रस्तुत करने से पूर्व प्रार्थी के अधिवक्ता श्री...को उक्त प्रतिरक्षा की और जवाब दावा शपथ पत्रों की दस्तावेजों व अन्य साक्ष्यों की प्रति उपलब्ध करा दें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

नोटिस आज दिनांक 9.9.2022 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

मोहर अदालत

पीठसीन अधिकारी
किराया अधिकरण सं. 1
अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सं. 1
जयपुर महानगर प्रथम

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिये सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
क्रम-1, जयपुर महानगर (प्रथम)

वाद बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वाद संख्या 429 सन् 2019 स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या-600/2019 राज राजेश्वर बनाम श्रीमती प्रकाश पारीक वगैरहा बनाम-1. प्रतिवादी संख्या-2 श्रीमती चन्द्रकला पारीक पुत्री स्व. श्री जमनालाल पत्नी स्व. श्री मोहन लाल पारीक, उम्र-52 वर्ष, निवासी-प्लॉट नं.-288, पेन्टर कॉलोनी, राजपूतों की छतरी, शास्त्री नगर, जयपुर (राज.)-302016, 2. प्रतिवादी संख्या-5 श्रीमती आभा पारीक पुत्री स्व. श्री रामचन्द्र पारीक पत्नी श्री पंकज पारीक, उम्र-वर्ष, निवासी-प्लॉट न.-306, कलाकार कॉलोनी, दूध मण्डी, सुभाष नगर, शास्त्री नगर, झोटवाड़ा रोड़, जयपुर (राज.)-(302016)

वादी ने आपके विरूद्ध दाव डिक्री के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 18 माह 10 सन् 2022 के दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उप संजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता हैं। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उप संजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों, जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो, जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह भी निर्देश दिया जाता कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है, पेश करें, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो, अपना प्रतिरक्षा या मुजराइके दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लेखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ठ करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बतई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद तारीख 21 माह 9 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत

न्यायाधीश
जिला एवंसत्र न्यायाधीश, क्रम-1
जयपुर महानगर (प्रथम)

सम्मन बनाम कायम मुकाम

(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत किराया अधिकरण क्रम-1
जयपुर महानगर प्रथम मुकाम रोहित मोदी
बाबत मोहन लाल
दावा बाबत निषेधाज्ञा
मुकदमा न. 321/17 सन

बनाम- 1. धीरज असवाल पुत्र स्व. श्री मोहन लाल कौम..., 2. चंदा, 3. किरण पुत्रीया स्व. श्री मोहन लाल, साकिन निवासीगण गोटे वालों की बगीची ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर परगना...

चूंकि अर्जीकार ने इस अदालत में तारीख 29 माह 6 सन् 2022 को 1.अर्जीकार बनाम 2. मृतक प्रत्याशी दायर की जो कि बाद में फोत हो गया। और चूंकि...जिसकी नकल साथ है। मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी मोहन लाल मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तुदुआ की है बजाय उसके आप 3. कायम मुकाम बनाये जाये। लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाब देही 1... ...माह...सन...20.10.2022 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजरी में सुना व फैसला किया जायेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.9.22 को जारी किया गया।

मोहर अदालत

पीठासीन अधिकारी
किराया अधिकरण, जयपुर
अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर महानगर मजिस्ट्रेट सं.-1
जयपुर महानगर